



SC में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पारित

drishtiias.com/hindi/printpdf/lok-sabha-passes-bill-to-increase-the-number-of-judges-in-supreme-court

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने देश की शीर्ष अदालत अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान में 31 (मुख्य न्यायाधीश सहित) से बढ़ाकर 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करने के लिये एक विधेयक पारित किया।

प्रमुख बिंदु:

वर्ष 2009 के बाद यह पहला अवसर है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 59,331 मामले लंबित हैं।
- मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India-CJI) रंजन गोगोई के अनुसार, भारत में न्यायाधीशों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों का फैसला करने के लिये उचित संवैधानिक पीठों की संख्या भी पूरी नहीं हो पा रही है।
- न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिये CJI ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।

और पढ़ें :

[सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ेगी न्यायाधीशों की संख्या](#)

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस